न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/21/2024	2024/35	18.06.2024	03.09.2024

1. मुबीन अहमद पुत्र श्री खूबी अहमद जाति मेव निवासी पहाडपुर तहसील हथीन जिला पलवल हरियाणा।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार, गोविन्दगढ जिला अलवर (राज०)।

——रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 29–05–2024 न्यायालय तहसीलदार गोविन्दगढ जिला अलवर राज० जिसके द्वारा भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत मिन अपीलान्ट को वाके ग्राम जहानपुर तहसील गोविन्दगढ में स्थित आराजी खसरा नम्बर 873 रकबा 1.26 किस्म गैर०मु० रास्ता मं से 0.03 हेक्टेयर रकबे अतिक्रमी मानते हुए शरह लगान 0.22 रूपये के 50 गुणा शास्ति राशि 11.00 (ग्यारह) रूपये आरोपित कर बेदखल करने का बेजा तौर से आदेश पारित किया गया है। बमुराद मनसुखी उक्त आदेश एवं स्वीकार किये जाने अपील अपीलान्ट।

उपस्थितः–

01.श्री मूलचंद चौधरी —वकील अपीलाण्ट

02.राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पोडेन्ट

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 29–05–2024 न्यायालय तहसीलदार गोविन्दगढ जिला अलवर राज० जिसके द्वारा भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत मिन अपीलान्ट को वाके ग्राम जहानपुर तहसील गोविन्दगढ में स्थित आराजी खसरा नम्बर 873 रकबा 1.26 किस्म गैर०मु० रास्ता मं से 0.03 हेक्टेयर रकबे अतिक्रमी मानते हुए शरह लगान 0.22 रूपये के 50 गुणा शास्ति राशि 11.00 (ग्यारह) रूपये आरोपित कर बेदखल करने का बेजा तौर से आदेश पारित किये जाने से व्यथित होकर पेश की है। अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि पटवारी हल्का मालपुर द्वारा विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आश्य का रिपोर्ट पेश की कि संवत् 2080 में ग्राम जहानपुर तहसील गोविन्दगढ़ के खसरा नम्बर 873 रकबा 1.26 किस्म गै०मु०रास्ता में से 0.03 हैक्टेयर रकबे पर अपीलान्ट ने अतिक्रमण कर 0.03 हैक्टेयर रकबे पर पक्की दीवार कर ली है और अपीलान्ट के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर मिन अपीलान्ट

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29–05–2024 को आदेश पारित कर मिन अपीलान्ट को वाके ग्राम जहानपुर तहसील गोविन्दगढ में स्थित आराजी खसरा नम्बर 873 रकबा 1.26 किस्म गैर०मु० रास्ता मं से 0.03 हेक्टेयर रकबे अतिक्रमी मानते हुए शरह लगान 0.22 रूपये के 50 गुणा शास्ति राशि 11.00 (ग्यारह) रूपये आरोपित कर बेदखल करने का बेजा तौर से आदेश पारित किया गया है। जिससे यह अपील निम्न वजूहात के साथ पेश की जा रही है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून, खिलाफ मौका व खिलाफ रिकार्ड होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

मिन अपीलान्ट द्वारा आराजी मुतनाजा पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है तथा पटवारी हल्का द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत रिपोर्ट पेश की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को धारा 91 राज० लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत नोटिस दिया गया जिसका मिन अपीलान्ट द्वारा विस्तृत रूप से दिनांक 29–04–2024 को जवाब प्रेषित किया गया जिस पर उसी दिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का को जवाक की जांच का आदेश देकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 17–05–2024 नियत की गई। जिसके उपरांत आगामी तारीख पेशी दिनांक 29–05–2024 नियत की गई और उसी दिन बिना बहस सुने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विरूद्ध होने से काबिल खारिज है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का को अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत जवाब की जांच करने का निर्देश दिया किन्तु उसकी पालना भी नहीं की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व ना तो मिन अपीलान्ट को सुना गया और ना ही पटवारी हल्का के बयान लिये नाही अपीलान्ट की बहस सुनी गई। जबकि कानूनन पटवारी हल्का के बयान रिकार्ड करने चाहिए व मिन अपीलान्ट को साक्ष्य सफाई का अवसर प्रदान करना चाहिए था। जिसका कोई अवसन प्रदान नही किया गया है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौका का कोई निरीक्षण नहीं किया है और नाही मौके पर कोई रास्ता रहा है ना ही मोके पर दूसरा काई रास्ता है जिस पर ग्रेवल रोड बनी हुई है। अपीलान्ट द्वारा एक दुरूस्ती का दावा किया गया था जिसमें राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार व अन्य को बतोर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया। सेटलमेन्ट विभाग में जो नक्शा खसरा नम्बर873 गैरमु० रास्ता बनाया गया था वह गलत बनाया उक्त दावे में नक्शा तरमीम की डिक्री चाही गई थी। जो दावा स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट के पक्ष में डिक्री प्रदान की गई है। किन्तु उक्त निर्णय व डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा जानबूझकर नक्शा तरमीम नही किया है, जो बरकरार है। उक्त निर्णय व डिक्री के खिलाफ किसी प्रकार की कोई अपील भी नहीं की है जो समस्त तथ्य मिन अपीलान्ट द्वारा अपने जवाब नोटिस में अंकित किये लेकिन कोई गौर नहीं किया जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है। आराजी खसरा नम्बर 880 मिन अपीलान्ट की खातेदारी में था जिसे मिन अपीलान्ट ने आबादी में कनवर्ट करा लिया जिसका खसरा नम्बर 1048/880 कायम किया गया और उक्त खसरा नम्बर 1048/880 में अपीलान्ट के मकानात काफी समय पूर्व बनाये हुए हैं। इस प्रकार मिन अपीलान्ट द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। जब मौके पर कोई

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

रास्ता ही नही है तो उस पर अतिक्रमण करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। लेकिन कोई गौर नहीं किया जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है।

यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई आदेश से पूर्व पैमाईश भी नही करायी है। ऐसी स्थिति में यदि मिन अपीलान्ट को उक्त आदेश की आड में जबरन बेदखल कर अपीलान्ट का निर्माण तोड दिया तो मिन अपलान्ट को भारी ना पूर्ति होने वाली क्षति होगी। जिस पर कोई गौर नही किया जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है और अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है वह बिलकुल खिलाफ मौका प्रस्तुत की है। अधिनस्थ न्यायालय ने गौका अवनीकन भी नहीं किया है और वेजा तौर पर महज पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपना निर्णय पारित किया है। पटवारी हल्का द्वारा राजनैतिक व प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रभाव में आकर उक्त कार्यवाहीं की है जबकि मिन अपीलान्ट का कोई अतिक्रमण होना साबित नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से मिन अपीलान्ट को भारी नुकसान है।

अतः अपील अपीलान्टान पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार साहब गोविन्दगढ का आदेश दिनांक 29.05.2024 निरस्त फरमाया जावे। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पोडैन्ट्स जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं वकील उभयपक्ष की बहस के बिन्दुओं पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का मालपुर की रिपोर्ट के अनुसार विवादित आराजी खसरा न0 873 किस्म गै0मु0 रास्ता कुल रकबा 1.26 है0 में से अतिक्रमी मुबीन अहमद पुत्र खूबी अहमद द्वारा रकबा 0.03 है0 पर पक्की दीवार बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। अपीलांट का यह कथन की उपखण्ड अधिकारी रामगढ में दायर वाद जिसमें तहसीलदार को बतोर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। जो दावा स्वीकार किया जाकर अपीलांट के पक्ष में डिक्री प्रदान की गई किन्तु डिक्री की पालना तहसीलदार द्वारा जानबूझकर नहीं की गई है। अपीलांट उक्त के क्रम में सक्षम न्यायालय में चाराजोरी कर सकता है। इस स्तर पर उक्त क्रम में कोई कार्यवाही संभव नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड का मिलान किया गया। रिकॉर्डानुसार भूमि गै0मु0 रास्ते के रूप में दर्ज है। जिस पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश दिनांक 29.05.2024 विधिसम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

29.05.2024 में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर वाद तामील तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 03.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कलै० एवं अति० जि० मजि०
राजस्थान
सरकार
प्रशासन (द्वितीय) अलवर